



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 27.07.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार थाना भगतपुर:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों, अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2024 को उ0नि0 मजहर रिहान थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त मुन्तयाज पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम जाहिदपुर थाना भगतपुर मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना भगतपुर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 199/2024 धारा-3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारी:-



अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2024 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 452/2024 धारा- 65(2) बी.एन.एस. व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट बनाम दानवीर उर्फ दानी उर्फ हीरालाल पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम झकड़ा थाना बिलारी मुरादाबाद पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के अन्तर्गत व विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.07.2024 को निरीक्षक अपराध राजेश यादव थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी दानवीर उर्फ दानी उर्फ हीरालाल पुत्र रामप्रसाद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3- लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार थाना कुन्दरकी:-



अवगत कराना है कि दिनांक 12.07.2024 को वादिनी निवासनी थाना कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 214/2024 धारा- 87 बीएनएस बनाम मोनू पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.07.2024 को उ0नि0 भोलेन्द्र कुमार थाना कुन्दरकी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी मोनू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4- गैंगस्टर के अभियोग में वांछित आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-



अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक किरनपाल सिंह थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद ने साक्ष्यो/गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर भौतिक/बुनियादी लाभ हेतु अवैध शराब तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 257/2024 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम फरीद आदि पंजीकृत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध /अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.04.2024 को उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त फरीद बाबा पुत्र मुनाजिर निवासी ग्राम असदपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 298/12 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद
2. मु0अ0सं0 321/2015 धारा 147/307/323 भा0द0वि0 थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद
3. मु0अ0सं0 204/2023 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 व 60(1)/63 आबकारी अधि0 थाना मैनाठेर
4. मु0अ0सं0 89/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद
5. मु0अ0सं0 257/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।

5- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार थाना मुगलपुरा:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों, अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2024 को उ0नि0 ब्रजपाल सिंह थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त सुहेल पुत्र उन्नी खां निवासी जामा मस्जिद वारसी नगर थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मुगलपुरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 206/2024 धारा- 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

6- निकाह करने का झांसा व बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना कटघर:-



अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2024 को वादिनी निवासनी थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी को निकाह करने का झांसा व बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 388/2024 धारा- 366/376(2)(m) भादवि0 बनाम शाने आलम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 26.07.2024 को म0उ0नि0 लीना कुशवाहा थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी शाने आलम पुत्र असलम निवासी जटपुरा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

7- गैंगस्टर के अभियोग में वांछित आरोपी गिरफ्तार थाना कटघर:-



अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ने साक्ष्यो/गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर भौतिक/बुनियादी लाभ हेतु हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में थाना कटघर पर पर मु0अ0सं0- 393/2024 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम सलमान आदि पंजीकृत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध /अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 26.04.2024 की रात्रि में अपराध निरीक्षक विनोद कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सलमान पुत्र शमीम हुसैन निवासी एकता विहार कालोनी नार्थ थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0-546/2023 धारा 302/506 भादवि थाना कटघर मुरादाबाद
- 2.मु0अ0सं0-547/2023 धारा 307 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना कटघर मुरादाबाद
- 3.मु0अ0सं0-0393/2024 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कटघर मुरादाबाद

8- शादी का झांसा देकर लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार थाना कटघर:-



अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2024 को श्री देवेन्द्र सैनी पुत्र वीरबल सैनी निवासी गोविन्द नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ने आरोपी द्वारा वादी की बहन को शादी का झांसा देकर लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर की सूचना पर मु0अ0सं0- 381/2024 धारा- 137(2) /87 बीएनएस 2023 बनाम विकास कश्यप पंजडीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 26.07.2024 को उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी विकास कश्यप पुत्र सत्यप्रकाश निवासी कटरा मालियान थाना काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

9- सट्टे की खाईबाडी करने का 01 आरोपी गिरफ्तार थाना मुगलपुरा:-




अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.07.2024 को उ0नि0 अंकित कुमार थाना मुगलपुरा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सिकन्दर पुत्र जाहिद हुसैन निवासी बरबलान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को सट्टे की खाईबाडी करते हुये गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 सट्टा डायरी, एक पेन, 02 सट्टा पर्ची, 01 कार्बन व 510 रु नगद बरामद हुये। इस संबंध में थाना मुगलपुरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 204/2024 धारा- 13जी एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

10- अवैध कच्ची शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना मुगलपुरा:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों व अवैध शराब निर्माण/तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.07.2024 को उ0नि0 पनीश कुमार थाना मुगलपुरा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मोज्जम पुत्र जमाल हुसैन निवासी वारसी नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मुगलपुरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 205/2024 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



11- गैंगस्टर के अभियोग में वांछित आरोपी गिरफ्तार थाना कांठ:-



अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र कुमार सिंह थाना कांठ जनपद मुरादाबाद ने साक्ष्यो/गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर भौतिक/बुनियादी लाभ हेतु वाहन चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में थाना कांठ पर मु0अ0सं0- 275/2024 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम हसीन आदि पंजीकृत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध /अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 27.04.2024 को व0उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना कांठ जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त हसीन अहमद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 383/2023 धारा 411/413/414/420/465/482 भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
- 2.मु0अ0सं0 200/2023 धारा 379 भादवि व वृद्धि धारा 411 भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
- 3.मु0अ0सं0 382/2023 धारा 379 भादवि व वृद्धि धारा 411 भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
- 4.मु0अ0सं0 95/2023 धारा 379 भादवि व वृद्धि धारा 411 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
- 5.मु0अ0सं0 275/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।

12- जनपदीय पुलिस द्वारा, शान्ति भंग करने में 08 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया ।



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.07.2024 को **थाना भोजपुर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1. दिल नवाज पुत्र मसूद रहीम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद 2. नईम बाबू पुत्र महबूब हसन निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला चक स्वार थाना स्वार जनपद रामपुर, **थाना कटघर पुलिस** द्वारा 1. मनोज पुत्र कल्लू 2. सतेन्द्र पुत्र कल्लू निवासीगण गोविन्द नगर थाना कटघर मुरादाबाद 3. शाहबाज पुत्र दिलशाद खान निवासी मुस्लिमा स्कूल के पीछे सरकारी क्वाटर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 4. हिमांशु रघुवंशी पुत्र सुदेश रघुवंशी निवासी गोविन्द नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद तथा **थाना पाकबड़ा पुलिस** द्वारा 1.मौ0 शाकिर पुत्र अब्दुल गफ्फूर निवासी रतनपुर कला थाना पाकबड़ा जिला मुरादाबाद, 2. दाऊद पुत्र अशरफ निवासी रतनपुर कला थाना पाकबड़ा जिला मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परीशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

